

न्यायालय:– प्रधान जिला न्यायाधीश, औरंगाबाद

प्रोबेट केस संख्या– 34 / 2023

मंजू गुप्ता आवेदक

बनाम

एस्टेट ऑफ डिसीज्ज नीलम गुप्ता एवं 01 अन्य प्रतिवादी

आदेश

07.05.2026

आवेदिका अनुपस्थित हैं। पुकार कराया गया, परन्तु बार-बार पुकार कराने के बावजूद आवेदिका की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह वाद आवेदिका के साक्ष्य हेतु विगत एक साल से अधिक समय से लंबित है, परन्तु आवेदिका द्वारा अबतक कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है। साथ ही आवेदिका विगत कई तिथियों से पैरवी नहीं कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को इस वाद की अग्रतर कार्रवाई में कोई रुचि नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में इस प्रोबेट वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित

प्रधान जिला न्यायाधीश,
औरंगाबाद
07.05.2026